न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 85/2023/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 06.06.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. बृजमोहन गुप्ता आयु 74 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी चौमुखा बाजार बारां जिला बारां

...अपील

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र रामनिवास जाति महाजन
2. दिनेश कुमार पुत्र रामनिवास जाति महाजन निवासीगण बमूलियां तहसील अंता जिला बारां राज०

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक –अपीलांट
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2

::निर्णय::

दिनांक 27.02.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 03/2021 बउनवान बृजमोहन बनाम अशोक वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर इंतकाल सं0 29 दिनांक 13.02.1992 ग्राम बमूलियाकलां विरूद्ध आदेश तहसीलदार अंता दिनांक 13.02.1992 ग्राम बमूलिया तहसील अंता को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रकरण सं0 03/2021 बउनवान बृजमोहन बनाम अशोक वगै0 में विवादित नांमातरकरण दर्ज करने के 29 वर्ष पश्चात् अपीलांट द्वारा अपील पेश किये जाने पर विलम्ब से अपील पेश करने के पर्याप्त कारण नहीं बताए जाने से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निर्णय दिनांक 28.02.2023 पारित किया गया।

अति. सं. आयुक्त
कोटा

2 अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण सं0 03/2021 बउनवान बृजमोहन बनाम अशोक वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2023 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया कि ग्राम बमूलियां कलां की आराजीयात हाल खसरा नं0 192 रकबा 1.74 हेक्टे० खसरा नं0 533 रकबा 0.02 हेक्टे०, खसरा नं0 978 रकबा 1.33 हेक्टे०, खसरा नं0 191/1083 रकबा 0.18 हेक्टे० कुल 3.27 हेक्टे० पर नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 13.02.1992 को तहसीलदार अंता द्वारा वसीयत दिनांक 27.06.1981 के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसकी कोई विधिवत जांच नहीं की गई है न कोई सुनवाई की गई केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त नामानतकरण सं० 29 दर्ज किया गया है, जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत दर्ज किया गया है जो काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। वसीयत दिनांक 27.06.1981 मृतक रघुनाथ पुत्र हरदेव जाति महाजन निवासी बमूलियां कलां द्वारा ग्राम बमूलियांकलां की आराजी खसरा नं0 647 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं० 86 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 891/322 रकबा 2 बिस्वा के संदर्भ में की गई है, जिसमे खसरा नं० 82 में कंटिंग करके उसके स्थान पर खसरा नं0 727 बनाया गया है इस प्रकार सेटलमेन्ट सम्वत 2044 से 2063 के पश्चात नये खसरा नम्बर 192 रकबा 1.74 हेक्टे०, खसरा नं0 533 रकबा 0.02 हेक्टे० 978 रकबा 1.33 हेक्टे०, खसरा नं0 191/1083 रकबा 0.18 हेक्टे० का नामांतकरण दर्ज किया गया है, जबकि खसरा नं0 192 रकबा 1.74 हेक्टे0 व खसरा नं0 191/1083 रकबा 0.18 हेक्टे० भूप्रबन्ध विभाग सम्वत 2044-63 द्वारा साबिक खसरा नं0 644 से बनाया गया है इसी प्रकार खसरा नं0 533 रकबा 0.02 हेक्टे० साबिक खसरा नं0 322 मिन व 323 मे कायम किये गये है इसी प्रकार खसरा नं. 978 रकबा 1.33 हेक्टे० साबिक खसरा नं0 727 से कायम किया गया है जबकि वसीयत में 727 के स्थान पर मूल खसरा नं० वसीयत मे 82 लिखा गया था जिसे कटिंग करके 727 बनाया गया है इस प्रकार वसीयत में अंकित खसरा नं० तथा इंतकाल कमांक 29 में पिछले पृष्ठ पर दर्ज हाल खसरा नम्बरान का मिलान क्षेत्रफल से मिलान नहीं होता है इस प्रकार तहसीलदार अंता द्वारा नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 13.02.1992 केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट व उस पर आई. एल. आर. अंता का अंकन के आधार पर केवल स्वीकृत शब्द लिखकर हस्ताक्षर किये गये है जो किसी भी प्रकार से न्यायिक प्रणाली के तहत संभव नही है तहसीलदार अंता को वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश होने पर उसकी विधिवत जांच करवाना चाहिये था व मृतक रघुनाथ के वारिसान के संदर्भ मे वास्तविक रिपोर्ट लिया जाना चाहिये था इस प्रकार तहसीलदार अंता द्वारा सभी कानूनी बिन्दुओ को दरकिनार करते हुये इंतकाल नं0 29 दर्ज किया है जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

मृतक रघुनाथजी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :-

हरदेव (मृतक)

भंवरलाल (मृतक)	जगन्नाथ (मृतक)	रघुनाथ (लाऔलाद फौत)
1. कन्हैयालाल (मृतक)	1. मोहनलाल (मृतक)	
2. बृजमोहन	2. रामनिवास	
3. केसर बाई	पुत्रियां 3	

मृतक रघुनाथ के औलाद नहीं होने से उसके वारिसान के रूप मे उसके दोनो भाई भंवरलाल व जगन्नाथ थे, जिसमे से जगन्नाथ का पुत्र रामनिवास रघुनाथ के जीवनकाल मे ही बाल्यकाल अवस्था मे जगन्नाथ के यहां से ग्राम बिजोरा मे गोद चला गया था व गोद के आधार पर बिजोरा मे रामनिवास को सम्पत्ति प्राप्त हुई है इस प्रकार विधिवत रूप से रामनिवास मृतक जगन्नाथ का पुत्र नहीं रहा इस प्रकार वसीयत मे रघुनाथ के द्वारा अपने पौत्रो रेस्पो० के नाम वसीयत करना अंकित किया गया है इस प्रकार वसीयत में अंकित खसरा नम्बरान व इंतकाल कमांक 29 में पिछले पृष्ठ पर अंकित हाल खसरा नम्बरान मे भिन्नता होने एवं पौत्र शब्द अंकित करके वसीयत करना अंकित किया गया है, जो अपने आप मे संदेहास्पद है इस प्रकार वसीयत कूटरचित होने के कारण उसके आधार पर खोला गया इंतकाल कमांक 29 दिनांक 13.2.1992 काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर बारां को अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर स्पष्ट अंकन किया गया कि वसीयत दिनांक 27.6.1981 की नकल सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 14.9.2020 को प्राप्त हुई व इंतकाल कमांक 29 की दिनांक 21.8.2020 को प्राप्त हुई उस दौरान कोविड–19 का समय होने के कारण अपीलांट वृद्ध व्यक्ति होने के कारण अपने अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त नहीं कर सका कोविड–19 का प्रभाव कम होने पर अपने अधिवक्ता से संपर्क कर 9.12.2020 को अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई जिसके समर्थन मे शपथपत्र भी पेश किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर बारां द्वारा अपील को मेरिट पर तय करने के बजाय मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने में भारी भूल की है जबकि अपीलांट द्वारा दौराने बहस विधि दृष्टांत आर.आर.सी. 2001 पृष्ठ संख्या 595 व आर.आर.सी. 2001 पृष्ठ संख्या 250 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि टेक्निकल ग्राउण्ड पर अपील को निरस्त न किया जाकर मेरिट पर तय किया जावे इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने में भारी भूल की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 28.02.2023 एवं तहसीलदार अंता का आदेश दिनांक 13.02.1992 व इंतकाल कमांक 29 दिनांक 13.02.1992 निरस्त फरमाया जावे तथा वसीयत के आधार पर पुनः सुनवाई किये जाने हेतु तहसीलदार अंता को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह मृतक रघुनाथ के विधिक वारिसान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 अभिभाषक सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर स्पष्ट अंकन किया गया कि वसीयत दिनांक 27.6.1981 की नकल सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 14.9.2020 को प्राप्त हुई व इंतकाल कमांक 29 की दिनांक 21.8.2020 को प्राप्त हुई उस दौरान कोविड–19 का समय होने के कारण अपीलांट वृद्ध व्यक्ति होने के कारण अपने अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त नहीं कर सका कोविड–19 का प्रभाव कम होने पर अपने अधिवक्ता से संपर्क कर 9.12.2020 को अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई जिसके समर्थन मे शपथपत्र भी पेश किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर बारां द्वारा अपील को मेरिट पर तय करने के बजाय मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने में भारी भूल की है जबकि अपीलांट

द्वारा दौराने बहस विधि दृष्टांत आर.आर.सी. 2001 पृष्ठ संख्या 595 व आर.आर.सी. 2001 पृष्ठ संख्या 250 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि टेक्निकल ग्राउण्ड पर अपील को निरस्त न किया जाकर मेरिट पर तय किया जावे इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने में भारी भूल की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 28.02.2023 एवं तहसीलदार अंता का आदेश दिनांक 13.02.1992 व इंतकाल कमांक 29 दिनांक 13.02.1992 निरस्त फरमाया जावे तथा वसीयत के आधार पर पुनः सुनवाई किये जाने हेतु तहसीलदार अंता को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह मृतक रघुनाथ के विधिक वारिसान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार अंता के वसीयत आदेश दिनांक 13.02.199 की अपील 29 वर्ष बाद पेश की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विलम्ब से अपील पेश करने का पर्याप्त आधार नहीं माना है। खसरा सं0 644 की स्थान पर 647 सहवन से अंकित हो गया था। रघुनाथ के खाते में केवल खसरा संख्या 644 ही अंकित था। जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत् 2034–2037 मिलान क्षेत्रफल से होती है। अपीलांट द्वारा वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार वसीयत उचित है। इस प्रकार सक्षम सिविल न्यायालय से रजिस्टर्ड वसीयत को निरस्त कराने तक खातेदार के अधिकार समाप्त नहीं होते। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी बाबत् वैध एवं पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने से खारिज की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय न्यायोचित होने से अपील अपीलांट अस्वीकार फरमायी जाकर निरस्त फरमायी जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2024(1) Page No. 693, RRT 2014(1) Pag No. 364, RRD 14.05.2016 Page No. 280, 2022(3) DNJ [Raj.] Page No. 1109, DNJ (Raj.) 1996 Sajjan Bai vs Dhanna, RRT 2020(1) Page No. 271, RRT 2023(2) Page No. 1369, RBJ (26) 2019 Page No. 184, 2020 RBJ 681 Municipal Council Hanumangarh V/s Neeraj Kumar, RBJ(27) 2020 Page No. 684** पेश किये।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली को अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर इंतकाल सं0 29 दिनांक 13.02.1992 ग्राम बमूलियाकलां विरूद्ध आदेश तहसीलदार अंता दिनांक 13.02.1992 ग्राम बमूलिया तहसील अंता को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रकरण सं0 03/2021 बउनवान बृजमोहन बनाम अशोक वगै0 में विवादित नामांतरकरण दर्ज करने के 29 वर्ष पश्चात् अपीलांट द्वारा अपील पेश किये जाने पर विलम्ब से अपील पेश करने के पर्याप्त कारण नहीं बताए जाने से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निर्णय दिनांक 28.02.2023 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.

सदस्य, रा.म. कोटा

02.2023 के संबंध में अपीलांट का इस न्यायालय में तर्क रहा है कि प्रश्नगत प्रकरण में तकनीकी बिन्दु निहित होने से अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर सुना जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क रहा है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसील अंता के वसीयत आदेश दिनांक 13.02.199 की अपील 29 वर्ष बाद पेश की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विलम्ब से अपील पेश करने का पर्याप्त आधार नहीं माना है। अपीलांट द्वारा वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार वसीयत उचित है। इस प्रकार सक्षम सिविल न्यायालय से रजिस्टर्ड वसीयत को निरस्त कराने तक खातेदार के अधिकार समाप्त नहीं होते। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी बाबत् वैध एवं पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने से खारिज की गई है।

7 इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि "चूंकि नामांतरकरण रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया था। अतः इसमें रेस्पो0 को सुनवाई करने की आवश्यकता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं थी।" उक्त निर्णय पूर्णतः विधिसम्मत प्रकट होता है क्योंकि अपीलांट को यदि रजिस्टर्ड वसीयत से आपत्ति है तो वसीयत को निरस्त कराने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज नामांतरकरण को 29 वर्ष की लम्बी अवधि पश्चात् मात्र नामांतरकरण की अपील से रद्द नहीं किया जा सकता। नामांतरकरण एक फिस्कल कार्यवाही है, जिससे पक्षकारान के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा में 29 वर्ष के विलम्ब का भी कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाना विधिसम्मत प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण सं0 03/2021 बउनवान बृजमोहन बनाम अशोक वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2023 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8 निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/2/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा